प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 21 जुलाई, 2015

विषय- नवर्निमित जिला कारागार, सोनभद्र में टैंकर के माध्यम से अस्थाई पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20429/नजारत-4/55/वा0का0/2014टी0सी0, दिनांक 19.06.2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-58/2015/266-22-4-15-105(ब)/98, दिनांक 03 मार्च, 2015 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नवर्निमित जिला कारागार, सोनभद्र में टैंकर के माध्यम से अस्थाई पेयजल की व्यवस्था किये जाने के लिए वाटर टैंकर में पोर्टेबिल वाटर पम्प विद कैपटीव इंजन हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 39,847/-(रूपया उनतालिस हजार आठ सौ सैंतालिस मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) टैंकर का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनों के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12.11.86 एवं शासनादेश दिनांक 11.08.89 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा कमी/संशोधन किया जाता है, तो इसकी जानकारी महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की जायेगी और तदनुसार कम/संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत टैंकर का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के वे उत्तरदायी होंगे।

(6) टैंकर के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा।

(7) टैंकर का क्रय दिनांक 31.08.2015 तक कर लिया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य का होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-समस्त कारागार-आयोजनेत्तर-03-मुख्य-14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकार/मोटर गाड़ियों का क्रय "

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-142/2015/785(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) उप महानिरीक्षक कारागार, सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in